दिनांक 29.09.2023
प्रेस विज्ञप्ति 32/2023

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

आपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप जघन्य अपराधों में अभियुक्तों को आजीवन कारावास आदि की सजा

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व समय–समय पर दिए गए निर्देशों के क्रम में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए आपरेशन कन्विक्शन कार्य योजना के तहत उ0प्र0 पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा मा0 न्यायालय में संयुक्त रूप से प्रभावी पैरवी कराकर न्यूनतम समय में अधिक से अधिक सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

उक्त के क्रम में प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा हत्या, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट आदि जघन्य अपराधों में मुख्यतः निम्न जनपदों में अभियुक्तों को आजीवन कारावास आदि की सजा सुनाई गई है।

- **जनपद जालौन/थाना चुर्खी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद जालौन पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जालौन द्वारा थाना चुर्खी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त श्याम गुर्जर उर्फ श्यामजी गुर्जर को सश्रम आजीवन कारावास व 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद इटावा/थाना बसरेहर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद इटावा द्वारा थाना बसरेहर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त कोमल सिंह उर्फ तोमर सिंह को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद फतेहपुर/थाना औंग (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 11–11 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना औंग पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–राजकुमार 2–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 11–11 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना पहासू (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 07 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना पहासू पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त भन्ता को आजीवन कारावास व 07 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बहराइच/थाना बौण्डी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना बौण्डी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 5(एम)/6 पॉक्सो एक्ट व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त जयसिंह को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>कमिश्नरेट आगरा/थाना सदर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

कमिश्नरेट आगरा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद आगरा द्वारा थाना सदर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376ए,बी भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त बौग उर्फ शमशाद को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद चित्रकूट/थाना राजापुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद चित्रकूट पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद चित्रकूट द्वारा थाना राजापुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त राधे सिंह उर्फ राधेश्याम को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 40 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद देवरिया/थाना मदनपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 27 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद देवरिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद देवरिया द्वारा थाना मदनपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 506 भादवि व 5(एम)/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त शेषनाथ को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 27 हजार 500 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद एटा/थाना अवागढ़ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को 14/10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 60–60 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना अवागढ़ पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त विमलेश उर्फ सौरभ को धारा 376 भादवि में 14 वर्ष के कठोर कारावास व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्ता को धारा 363 भादवि व धारा 376 सपठित धारा 120बी भादवि में 10 वर्ष के कठोर कारावास व 60 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद फतेहगढ़/थाना कम्पिल (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्त को 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद फतेहगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहगढ़ द्वारा थाना कम्पिल पर पंजीकृत अभियोग में धारा 364 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–कल्लू उर्फ राजवीर 2–सन्तोष 3–शैतान उर्फ कृपाल को 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास व 50–50 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हरदोई/थाना शाहाबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 45 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना शाहाबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सुग्रीव को 10 वर्ष के कारावास व 45 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सम्भल/थाना हयातनगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सम्भल पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सम्भल द्वारा थाना हयातनगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 354ख भादवि सपठित धारा 8 पॉक्सो एक्ट एवं 354घ भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अभिषेक कुमार उर्फ रिंकू को 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 35 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद अलीगढ़/थाना महिला थाना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 29 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अलीगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अलीगढ़ द्वारा थाना महिला थाना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307/498ए/323/504/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त पवन को 07 वर्ष के कठोर कारावास व 29 हजार 500 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद सिद्धार्थनगर/थाना इटवा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 06 वर्ष 08 माह के कारावास की सजा व 02 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा थाना इटवा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 41/411/413/414 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त परवेज खाँ को 06 वर्ष 08 माह के कारावास व 02 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद फिरोजाबाद/थाना नगला खंगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 06 अभियुक्तों को 05–05 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 14–14 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद फिरोजाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फिरोजाबाद द्वारा थाना नगला खंगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 147/149/452/323/504/506 भादवि व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत 06 अभियुक्तों 1–शंकर सिंह 2–रामनरेश 3–बड़े 4–ठेकेदार 5–राजीव 6–कल्लू को 05–05 वर्ष के सश्रम कारावास व 14–14 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

जनपद उन्नाव/थाना हसनगंज

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 03 लाख 50 हजार रूपये नगद**
- **01 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 29.09.2023 को थाना हसनगंज, थाना दही व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अभियुक्त कुलदीप को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट के 03 लाख 50 हजार रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 26.09.2023 को थाना हसनगंज क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बमदाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हसनगंज पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना हसनगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—कुलदीप निवासी ग्राम जामू थाना विधनू कानपुर नगर।

बरामदगी

1—लूट के 03 लाख 50 हजार रूपये नगद।

2—01 मोबाइल फोन।

3—01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद सम्भल/थाना हयातनगर

- **पुलिस कार्यवाही में 05 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 29.09.2023 को थाना हयातनगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मुजफ्फरपुर से शेरपुर मार्ग पर हाजी भूरे के भट्ठे के पास मोटर साइकिल सवार बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, जिसमें एक आरक्षी घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त नूर घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना हयातनगर पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 05 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना हयातनगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नूर निवासी ग्राम रसुलपुर धतरा थाना हयातनगर जनपद सम्भल।

बरामदगी

1–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद महराजगंज/थाना बृजमनगंज

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 29.09.2023 को थाना बृजमनगंज व थाना फरेन्दा की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र में बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–राजू घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–श्रीलाल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त राजू के विरूद्ध जनपद महराजगंज, गोरखपुर के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, लूट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना बृजमनगंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राजू निवासी सोनौरा बुजुर्ग थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर।

2—श्रीलाल निवासी ग्राम जमुहरा थाना मेहदावल जनपद संतकबीर नगर।

बरामदगी

1—01 मोटर साइकिल।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस।

जनपद बाराबंकी/थाना बड्डूपुर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 04 मोटर साइकिल, 01 पिकप वाहन आदि बरामद**

दिनांक 29.09.2023 को थाना बड्डूपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नहर कोठी चौराहा के पास से 02 अभियुक्तों 1—महेन्द्र 2—हंसराज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 04 मोटर साइकिल, 01 पिकप वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त महेन्द्र शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बाराबंकी के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना बड्डूपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—महेन्द्र निवासी सिकोहना थाना मोहम्मदपुर खाला जनपद बाराबंकी।

2—हंसराज निवासी भयारा थाना जहाँगीराबाद जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1—चोरी की 04 मोटर साइकिल, 01 पिकप वाहन आदि।

जनपद शाहजहॉपुर/थाना जलालाबाद

- **07 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 02 करोड 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 700 ग्राम फाइन क्वालिटी की अफीम, 700 ग्राम स्मैक**
- **08 मोबाइल फोन**
- **02 मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 29.09.2023 को थाना जलालाबाद व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कोला मोड तिराहे से 07 अभियुक्तों 1–अक्षय 2–अमन 3–रामकुमार 4–पंकज 5–मुनीश 6–ब्रजेश 7–सुमित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 02 करोड 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 700 ग्राम फाइन क्वालिटी की अफीम, 700 ग्राम स्मैक, 08 मोबाइल फोन, 02 मोटर साइकिल बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त पंकज के विरूद्ध जनपद शाहजहॉपुर के विभिन्न थानों पर धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना जलालाबाद पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अक्षय निवासी ग्राम सहाबगंज नया थाना अल्हागंज जनपद शाहजहॉपुर।

2–अमन निवासी मोहल्ला नई बस्ती थाना तिलहर जनपद शाहजहॉपुर।

3–रामकुमार निवासी ग्राम नयागांव साहवेपुर थाना कलान जनपद शाहजहॉपुर।

4–पंकज निवासी ग्राम डभौरा थाना तिलहर जनपद शाहजहॉपुर।

5–मुनीश निवासी ग्राम सिगहापुर थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहॉपुर।

6–ब्रजेश निवासी ग्राम राजेरामपुर थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहॉपुर।

7–सुमित निवासी ग्राम रूस्तमपुर थाना जलालाबाद जनपद शाहजहॉपुर।

बरामदगी

1–लगभग 02 करोड 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 700 ग्राम फाइन क्वालिटी की अफीम, 700 ग्राम स्मैक।

2–08 मोबाइल फोन।

3–02 मोटर साइकिल।

जनपद बाराबंकी/थाना जैदपुर

- **02 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 30 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 305 ग्राम अवैध मारफीन**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 28.09.2023 को थाना जैदपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 02 मादक पदार्थ तस्करों 1–मो0तुफैल 3–अबु सहमा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 30 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 305 ग्राम अवैध मारफीन, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना जैदपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मो0तुफैल निवासी टिकरा उस्मा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी।

3–अबु सहमा निवासी टिकरा उस्मा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1–लगभग 30 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 305 ग्राम अवैध मारफीन।

2–01 मोटर साइकिल।

———–